

Ref No. RFC/PA-30(225)/ 2082

Dated: 04.12.2014

NOTIFICATION

Reference is hereby made to Notifications No.RFC.F.PA-30(225)/2000 dated 18.10.2005, RFC/PA-30(225)/491 dated 28.05.2008 and RFC/PA-30(225)/1390 dated 20.09.2013 with regard to designating Public Information Officers (PIOs) and Appellate Authority as per provisions of Section 5 & 19 of RTI Act, 2005.

In supercession of all earlier Notifications in this regard, following Officers of the Corporation are designated as Public Information Officers under RTI Act with immediate effect:-

S.No.	RTI matters related to Division/Area/BOs	PIO	Appellate Authority
1.	FR, ARRC, RRMD, CRE Cell, A&I and all matters related to Operations	GM(OP)	Executive Director
2.	HRD, Law, RTI, GAD, F&A, YUPY, CPMD, P&CD, NBDD & Risk Management GM(D)	GM(D)	
3.	All matters related to Branch Offices/Facilitation Centers	Branch Manager/ Incharge/Nodal Officer of Branch	

Mh
21/12/14
(MANEESH CHAUHAN)
Managing Director

✓ For details, log-on Website www.rfconline.org for latest n/s

Copy to the following for information and necessary action:-

1. All BO/SOs
2. Standard Circulation at HO
3. Central & Western Zone, A&I Ajmer/Jodhpur
4. Notice Board

Copy also to the following for information:-

1. PS to Additional Chief Secretary, Industries, Secretariat, Jaipur
2. PS to Principal Secretary, Home, Secretariat, Jaipur
3. The PS to Commissioner, RIC, Jhalana Link Road, JLN Marg, Jaipur

✓ Sh. K.K. Gupta, ^{Asst} manager RFE Ho, for hosting on RFC website.



222

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)



सूचना का
अधिकार

5425
28/7/12

कर्मकाण्ड 22(16) प्रसु/सू.अ.प्र./2010

जयपुर, दिनांक:- 12/7/12

परिपत्र

ऐसा संज्ञान में आया है कि लोक सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदकों को सूचनाएं आदि अधूरी प्रदान की जाती हैं। आवेदक को वांछित सूचना लोक सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत विहित समय में पूर्ण रूप से उपलब्ध करवायी जानी आवश्यक है। अतः लोक प्राधिकरणों से यह अपेक्षा की जाती है कि आवेदकों को सूचना प्रदान करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक ध्यान दिया जावे:-

1. सूचना का अधिकार अधिनियम में प्राप्त आवेदनो का निस्तारण 30 दिवस के अन्दर किया जाना सुनिश्चित करावे।
2. यदि प्राप्त प्रकरण आपके विभाग से संबंधित नहीं है तो उसे 5 दिवस के अन्दर संबंधित विभाग को अन्तरित कर दिया जावे।
3. यदि प्राप्त प्रकरण में एक या कुछ बिन्दु आपके विभाग से संबंधित है तथा शेष बिन्दु अन्य विभागों से संबंधित है तो आपके विभाग की सूचना आवेदक को दी जावे तथा शेष बिन्दु हेतु आवेदक को संबंधित विभागों (जहाँ तक सम्भव हो) संबंधित विभाग का उल्लेख भी करें) संबंधित विभागों से मांगने हेतु पृथक-पृथक आवेदन करने के लिए सूचित किया जावे।
4. आवेदक को प्रेषित पत्र में प्रेषित करने वाले लोक प्राधिकरण अधिकारी का नाम, पद कार्यालय का पता एवं दूरभाष नम्बर अंकित किया जावे।
5. आवेदक को प्रथम अपील अधिकारी का नाम, पद एवं कार्यालय का पता भी दिया जावे।
6. यदि आवेदन के साथ डाक टिकिट लगे हो और प्रार्थी का पता लिखा हो तथा लिफाफा संलग्न किया हो तो उसे सूचना तदानुसार स्पीडपोस्ट/रजिस्टर्ड डाक से भिजवायी जावे।

pl ensure compliance

DS-2/12/12

24/7

21/7/12

(आर.पी.जेन)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त अतिरिक्त, मुख्य सचिव।
2. समस्त प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में आप अपने अधीनस्थ विभागों को निर्देशित करने का श्रम करें।
3. समस्त संभागीय आयुक्त।
4. समस्त जिला कलक्टर।
5. समस्त जिला कमिश्नर/ पुलिस अधीक्षक।
6. रक्षित पत्रावली।

अनुभागाधिकारी,

प्रशासनिक सुधार विभाग

C.M.D
261



265

राजस्थान सूचना आयोग

सी-विंग, वित्त भवन, जनपथ मार्ग, राजस्थान विधानसभा के पास,
ज्योति नगर, जयपुर (फोन एवं फैक्स नं. 0141 2742406)

क्रमांक:- प.3()/रा.सू.आ./परिवाद विविध/2012/21974

दिनांक :- 23.04.2012

30 APR 2012

C.M.D
शा.प.भा.वि. वित्त नि.रा.उ.
उद्योग शि.प.ग.
जयपुर (राज0)।

महोदय,

राज्य सूचना आयोग द्वारा लिये गये निर्णय एक लम्बी प्रक्रिया का प्रतिफल होता है और आयोग के निर्णय की अनुपालना नहीं होने की स्थिति में आयोग के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किये जाते हैं। सभी सम्बन्धित विभागों का यह दायित्व है कि आयोग द्वारा निर्णय पारित किये जाने के पश्चात निर्णय की अनुपालना यथा समय कर दी जावे, और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का कठोरता से पालना किया जावे, ताकि इस अधिनियम के प्रावधान अनुसार चाही गई सूचनायें आवेदकों को समय पर मिल सकें। आपसे अनुरोध है कि आपके अधीनस्थ समस्त विभागाध्यक्षों/लोक सूचना अधिकारियों एवं अपीलीय अधिकारियों को निर्देशित करें कि आयोग द्वारा पारित आदेशों की पालना में विलम्ब न हो और अनुपालना नहीं होने के फलस्वरूप आयोग में परिवाद प्रस्तुत करने की स्थिति उत्पन्न न हो।

ED
DGM (Law/RTI)

भवनिष्ठ
K/S
(छाया भटनागर)
सचिव

15 MAY 2012


DGM (Law) RTI

Pl. to put up in file.

16 MAY 2012

410

A
16/5
Ar/RTI



D-7053

22/12/11
राजस्थान शासन (पुनर्) विभाग
जयपुर सचिवालय, जयपुर
प्राप्ति संख्या 7053



राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग
सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ

239

कमांक प. 20(10)प्रसु/सूअप्र/2011

जयपुर, दिनांक 16-12-2011


परिपत्र

आपका ध्यान सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 7 व 19 की ओर आकर्षित किया जा रहा है:-

"अधिनियम की धारा 7 के अनुरूप धारा 5 की उप-धारा (2) के परन्तुक या धारा 6 की उप-धारा(3) के परन्तुक के अधीन रहते हुए राज्य लोक सूचना अधिकारी, धारा 6 के अधीन अनुरोध प्राप्त होने पर, यथासंभव शीघ्र और किसी भी दशा में, अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर सूचना देगा या धारा 8 और 9 में विनिर्दिष्ट किसी कारण से अनुरोध को नामंजूर करेगा।"

" अधिनियम की धारा 19 (अपील) में स्पष्ट प्रावधान है कि आवेदक को सूचना निर्धारित 30 दिवस में प्राप्त न होने अथवा प्राप्त सूचना से सन्तुष्ट न होने की जैसी भी स्थिति हो आवेदक को प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है। प्रथम अपील अधिकारी को अपील पर 30 दिवस में निर्णय पारित करना चाहिये। अपवाद के मामलों में अपील अधिकारी इसके निपटान के लिए 45 दिन का समय ले सकते हैं किन्तु अपील अधिकारी को चाहिये कि वह विलम्ब के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करे।

अतः सभी लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी से अनुरोध है कि आवेदक के अनुरोध का निपटारा व प्रथम अपील का निपटारा निश्चित समयावधि में किया जाना सुनिश्चित करावें।


(अ.पी.जैन)

प्रमुख शासन सचिव

समस्त अति. मुख्य सचिव /

प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव

समस्त संभागीय आयुक्त

समस्त जिला कलक्टर

समस्त जिला कमिश्नर / पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ

CMD
SS

ED
94

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)



सूचना
का
अधिकार

130

क्रमांक प. 20(85) प्रसु/सूअप्र/09

जयपुर, दिनांक: 31-3-2011

1. समस्त प्रमुख शासन सचिव, / शासन सचिव।
2. समस्त संभागीय आयुक्त।
3. समस्त जिला कलक्टर।
4. समस्त विभागाध्यक्ष।
5. समस्त पुलिस अधीक्षक।
6. सचिव, राज्य सूचना आयोग।


विषय:- सूचना का अधिकार से संबंधित पत्राचार पर पहचान चिन्ह (Iconic LOGO) अंकित करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को लागू हुये पाँच वर्ष पूर्ण होने पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग पेंशन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित पत्राचार स्टेशनरी पर सूचना का अधिकार पहचान चिन्ह (Iconic LOGO) प्रिन्ट कराये जाने के निर्देश प्रदान किये हैं।

राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सूचना का अधिकार के तहत किये जाने वाले पत्राचार/जवाब इत्यादि पर भारत सरकार द्वारा प्रेषित पहचान चिन्ह (Iconic LOGO) का आवश्यक रूप से प्रयोग किया जावे, पहचान चिन्ह का नमूना इस पत्र के साथ संलग्न है साथ ही केन्द्रीय मुद्रणालय को भी पहचान चिन्ह अंकित स्टेशनरी प्रिन्ट करने के निर्देश प्रदान किये जा रहे हैं। कृपया अपने अधीनस्थ अधिकारियों को पालना किये जाने हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान करावें।

भवदीय


(अरुण जीन)
प्रमुख शासन सचिव

- Recd on 28/04/11
- on 27th DM (RTI)
was on leave

For mla H.

28/04/11

DM (RTI)


Arun Jain

28/4

84

सूचना का अधिकार/अतिआवश्यक

167



राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)

क्रमांक:- प0 19(2) प्रसु/एआरटीआई/2010

जयपुर, दिनांक: 18-11-10

- 1 समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
- 2 समस्त संभागीय आयुक्त
- 3 समस्त जिला कलक्टर

6935
2/11

विषय:- बजट घोषणा वर्ष 2010-11 के बिन्दू सं0 4(iii) में " प्रशासन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार को और प्रभावी ढंग से लागू करवाने बांबत्।

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का क्रियान्वयन तत्परता प्रभावी ढंग से जनहित में पूर्ण जनसुविधा के साथ हो रहा है अथवा नहीं की समीक्षा हेतु शासन स्तर पर विभाग स्तर पर प्रत्येक विभाग में नियुक्त लोक सूचना अधिकारी और सहायक लोक सूचना अधिकारी के अतिरिक्त एक समर्पित सैल का गठन किया जाकर शासन स्तर/विभाग स्तर पर पृथक-पृथक सूचना का अधिकार अधिनियम की क्रियान्वति का निरीक्षण एवं समीक्षा की जाकर प्रशासनिक सुधारा विभाग को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट भिजवाये जाने के निर्देश दिये गये है।

माह सितम्बर 2010 तक प्रत्येक विभाग में समर्पित सैल के गठन की कार्यवाही अनिवार्य रूप से की जानी थी किन्तु यह तथ्य मेरे ध्यान में लाया गया है कि अनेक विभागों एवं कार्यालयों के स्तर पर अभी तक भी समर्पित सैल का गठन की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो पाई है। जिन विभागों द्वारा समर्पित सैल का गठन कर इस विभाग में रिपोर्ट भिजवायी गई है उसका अवलोकन करने से प्रतित होता है कि गठित समर्पित सैल में निर्धारित मापदण्डों की पालना नहीं की गई है एवं समर्पित सैल में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के टेलीफोन नम्बर अंकित नहीं किये गये है।

मैं अपेक्षा करता हूँ कि आपके अधीनस्थ विभाग में यदि समर्पित सैल का गठन नहीं किया गया है तो तत्काल गठन किया जाकर निर्धारित प्रपत्र के आधार पर रिपोर्ट इस विभाग को भिजवायी जावे। यह भी याद रहे कि गठित समर्पित सैल में कम से कम तीन अधिकारी होने चाहिए जिनके नाम व पदनाम, टेलीफोन नम्बर का पूर्ण विवरण होना आवश्यक है इसके साथ ही सूचना के अधिकार के तहत गठित समर्पित सैल का पूर्ण विवरण सहित विभाग के बाहर बोर्ड लगाया जाना भी सुनिश्चित किया जावे।


भवदीय

(डा0 अशोक सिंघवी)
प्रमुख शासन सचिव

DS-2/19/580
18/11

ASS
19/11

19/11



उपस्थित 78
का.सं.सं. 6682
दि.सं. 18/11/10

राजस्थान सरकार
कार्यालय अतिरिक्त. मुख्य सचिव, (विकास) एवं विकास आयुक्त,
अपीलीय अधिकारी सूचना का अधिकार, शासन सचिवालय, जयपुर.

क्रमांक एफ 3(1) एसीएस/ए-आर.टी.आई./10

जयपुर, दिनांक: 5 NOV 2010

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त / गृह विभाग ।
2. समस्त प्रमुख शासन सचिव ।
3. समस्त शासन सचिव ।

परिपत्र

विषय:- आर० टी० आई० एक्ट, 2005 की अपीलों की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी विभागों की कमियों के निराकरण के संबंध में ।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, (विकास) एवं विकास आयुक्त, अपीलीय अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार, 2005 के अंतर्गत राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर में स्थित विभागों के लोक सूचना अधिकारियों को सूचना का अधिकार 2005 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रों पर वांछित सूचना नहीं प्राप्त होने या प्राप्त सूचना से असंतुष्ट होने पर अपीलीय अधिकारी को प्रस्तुत प्रथम अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी विभाग के द्वारा अपना पक्ष / उत्तर प्रस्तुत करने में निम्नांकित बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित करें ।

1. प्रत्यर्थी विभाग अपने उत्तर में कथन करता है, कि सूचना देय नहीं है । अतः विभागों को निर्देशित किया जाता है, कि अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध कराई जावे । यदि सूचना देय नहीं है, तो अपने उत्तर में यह स्पष्ट उल्लेख करें कि आर.टी.आई. की किस धारा के अंतर्गत सूचना देय नहीं है ।
2. राजस्थान शासन सचिवालय स्थित विभागों के लोक सूचना अधिकारी सूचना के अधिकार अंतर्गत उनके यहां प्रस्तुत आवेदन पत्रों में वांछित सूचना के शुल्क के संबंध में अपीलार्थी को निश्चित समय (30 दिवस) में शुल्क जमा कराने के लिए सूचित नहीं करते हैं । जिससे निर्धारित समय समाप्त होने पर अपीलार्थी को निःशुल्क सूचना उपलब्ध करानी होती है । अतः सभी विभागों को निर्देशित किया जाता है कि आवेदन प्राप्ति के 7 दिवस में सूचना शुल्क राशि जमा कराने के लिए अपीलार्थी को सूचित किया जाना सुनिश्चित करें ।
3. राजस्थान शासन सचिवालय स्थित विभागों को निर्देशित किया जाता है कि अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपने विभाग को पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उप शासन सचिव स्तर का अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित करें ।

16/11

ASE
16/11

आशा सिंह
(आशा सिंह)
अपीलीय अधिकारी
अतिरिक्त मुख्य सचिव,
(विकास) एवं विकास आयुक्त

4367
22/9/10

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)

(b)

8782
24/9

क्रमांक प. 17(1)प्र.सु./आरटीआई/2010

जयपुर दिनांक 21.09.2010

1. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
.....विभाग
2. समस्त संभागीय आयुक्त
.....संभाग
3. समस्त जिला कलक्टर
जिला
4. समस्त पुलिस अधीक्षक
जिला

DS-I/II/SED

HSE

अति आवश्यक

23/9 महोदय, विषय : विभागों एवं कार्यालयों में समर्पित सेल के गठन के संबंध में।

उक्त विषय में लेख है कि प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के स्तर से समर्पित सेल के गठन के संबंध में पूर्व पत्र दिनांक 16.9.2010 की ओर ध्यान आकर्षित कर लेख है कि बजट घोषणा वर्ष 2010-11 के बिन्दु संख्या 4(iii) में "प्रशासन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार को ओर प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु निर्देश क्रमांक प. 17(1)प्र.सु./आरटीआई/2010 दिनांक 8.6.2010 में यह निर्णय लिया गया था कि -

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का क्रियान्वयन तत्परता प्रभावी ढंग से जनहित में पूर्ण जनसुविधा के साथ हो रहा है अथवा नहीं की समीक्षा हेतु शासन स्तर पर, विभाग स्तर पर प्रत्येक विभाग में नियुक्त लोक सूचना अधिकार और सहायक लोक सूचना अधिकारी के अतिरिक्त एक समर्पित सेल का गठन भी किया जाना है। सेल में कम से कम 3 अधिकारी होने चाहिए। सेल के द्वारा शासन स्तर, विभाग स्तर पर पृथक-पृथक सूचना का अधिकार अधिनियम की क्रियान्विति का निरीक्षण एवं समीक्षा की जाकर प्रशासनिक सुधार विभाग को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट भेजी जानी है।"

माह सितम्बर, 2010 में प्रत्येक विभाग में समर्पित सेल के गठन की कार्यवाही अनिवार्य रूप से की जानी है। अतः कृपया आपके विभाग/कार्यालय में समर्पित सेल का गठन कर सूचना निम्न प्रारूप में 30.9.2010 तक आवश्यक रूप से प्रेषित करें:-

विभाग/कार्यालय का नाम

क्र.सं.	समर्पित सेल के अधिकारीगण का नाम व पदनाम	दूरभाष नम्बर

चूंकि उक्त अधिकारीगणका प्रशिक्षण एचसीएम रीपा में कराया जाना है। अतः निर्धारित तिथी तक आवश्यक रूपसे उक्त सूचना भेजना सुनिश्चित करने की कृपा करें।

Today
cutted
23/9

उप शासन सचिव 21.9